रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 1985/ज्येष्ठ 10, 1907
No. 223] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 1985/JAYAISTHA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई 1985

सा का नि 465 (अ) - आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् (उत्सादन) अधिनियम, 1985, (1985 का 34) क धारा 1 क उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार 1 जून, 1985, को उस तारीख के रूप मे नियत करत ह जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा स 7(16)/83-वि. II]

क सुब्रमणियन, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1985

G.S.R. 465(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Andhra Pradesh Legislative Council (Abolition) Act, 1985 (34 of 1985), the Central Government hereby appoints the 1st day of June, 1985, as the date on which the said Act shall come into force.

[F. No. 7(16)|83-Leg. II]
K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985